

वन विभाग, हरियाणा सरकार,  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-9020/431

दिनांक: 18/05/2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
वन तथा वन्य प्राणी विभाग,  
चण्डीगढ़।

विषय: Diversion of 3.5 ha. of forest land for Laying of Sewerge Pipeline along Agra Canal from Kheri Village to Mirjapur Village, under forest division and District Faridabad, Haryana.  
Online Proposal No. FP/HR/Others/41984/2019

मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम द्वारा EXECUTIVE ENGINEER MUNICIPAL CORPORATION FARIDABAD HARYANA. के अनुरोध पर कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है। प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में 3.5 है0 वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें जिसमें 489 वृक्ष (वाल्युम 75.67 m<sup>3</sup>) बाधक है जो कटवाए जाएंगे व इसके अतिरिक्त 330 पौधें भी नष्ट होंगे। यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य प्राणी क्षेत्र में आता है। प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेंसी से केम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी।

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	5022640.00
2.	अति० प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	473563.20
3.	Barbed Wire Fencing Charge	5000000.00
4.	Supervisory Charge(A+B)	1049620.32
5.	नैट प्रैजैन्ट वैल्यु आफ फौरेस्ट लैण्ड	4300065.00
6.	फैलिंग चार्जिज	90804.00
7.	अतिरिक्त चार्जिज	346374.70
	कुल	16283067.22

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Chainsa distributary RD 15-40 L&R side पर 7660 पौधें लगवाए जाएंगे। इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है। उक्त प्रस्ताव संस्तुति उपरान्त आपको ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),  
हरियाणा, पंचकुला।

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-9020/432

दिनांक: 18/05/2023

एक प्रति उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ को प्रेषित है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),  
हरियाणा, पंचकुला।

CFMS:- FRT 18052023-2330



**Full Title of the Project :** Diversion of 3.5 ha. of forest land for Laying of Sewerge Pipeline along Agra Canal from Kheri Village to Mirjapur Village, under forest division and District Faridabad, Haryana.

**Online Proposal No. FP/HR/Ohers/41984/2019**

**PART – IV**


(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator Forests or Head of Forest Dept.)

17.	Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks. (while giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon.)	<b>Recommended for approval.</b>
-----	--	----------------------------------

Date : \_\_\_\_\_

Place : **Panchkula**

Signature  
Name  
Office Seal

  
**Principal Chief Conservator of Forests**  
Harvana, Panchkula  
